सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/ATY-1945/RJ/10/2024-APCR (RU-I) **दिनांक: 25.02.2025**

श्री उत्कल रंजन साहू,
पुलिस महानिदेशक, राजस्थान,
पुलिस मुख्यालय,
जयपुर सिटि-303002, राजस्थान
ई-मेल: dgp-rj@nic.in

डॉ. सौम्या झा,
जिला कलेक्टर, टोंक,
कार्यालय जिला कलेक्टर,
टोंक, राजस्थान-304001
ई-मेल: dm-ton-rj@nic.in

श्रीमति प्रीति जैन,
पुलिस अधीक्षक, टोंक,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
टोंक, राजस्थान-324001
ई-मेल: sp.tonk@rajpolice.gov.in

विषय: प्रार्थी श्री पप्पू लाल मीणा के सुपुत्र अमरीश मीणा की हत्या के मामले में श्री पप्पू लाल मीणा, ग्राम- नवाबपुरा, पु. थाना- मेहंदवास, तहसील व जिला, टोंक, राजस्थान का दिनांक 09.10.2024 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.10.2024 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण मे अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में **दिनांक 11.03.2025 को दोपहर पश्चात** सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे)
उप-निदेशक
ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री पप्पू लाल मीणा,
ग्राम- नवाबपुरा, पु. थाना- मेहंदवास,
तहसील व जिला, टोंक, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/ATY-1945/RJ/10/2024-APCR

दिनांक: 22/10/2024

1. **श्री उत्कल रंजन साहू**
   पुलिस महानिदेशक,
   राजस्थान
   295A, राम मंदिर रोड़, इंद्रा कॉलोनी,
   बनी पार्क, जयपुर
   राजस्थान- 302032
   Email Id: dgp-rj@nic.in

2. **डॉ0 सौम्या झा**
   जिला कलेक्टर
   जिला- टोंक,
   कार्यालय जिला कलेक्टर टोंक,
   टोंक, राजस्थान- 304001
   Email Id: dm-ton-rj@nic.in

3. **श्रीमती प्रीति जैन**
   पुलिस अधीक्षक,
   जिला- टोंक,
   राजस्थान- 324001
   Email Id: sp-kot-rj@nic.in

विषय: **प्रार्थी श्री पप्पू लाल मीणा के सुपुत्र अमरीश मीणा की हत्या के मामले में श्री पप्पू लाल मीणा ग्राम- नवाबपुरा, पु. थाना- मेहंदवास तहसील व जिला टोंक का दिनांक 09.10.2024 का अभ्यावेदन**

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को **श्री पप्पू लाल मीणा**से दिनांक 09/10/2024 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के **07 दिन के अंदर** अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग को आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको '**समन**' जारी कर सकता है ।

8569-R 23/10/24 01

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री पप्पू लाल मीणा
ग्राम- नवाबपुरा, पु. थाना- मेहंदवास
तहसील व जिला टोंक 304001,
मो. न.: 8949492066